प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.07.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **15.07.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया। इस दौरान सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त भी अपने सर्किल के थानों में उपस्थित रहे।

आज दिनांक 15.07.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	90
2.	ट्रांस हिण्डन	75
3.	ग्रामीण	93
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**258**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 11/07/2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाना व वादी की पुत्री के साथ गलत काम करना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात बाल अपचारी को अभिरक्षा मे लेने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 15.07.2026 को उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर बाल अपचारी ने बताया कि वादी की पुत्री अपने घर के बाहर खेल रही थी, मैं उसको बहला-फुसलाकर ले गया तथा उसके साथ गलत काम कर दिया था।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.06.2026 को थाना मोदीनगर पर वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्त अमित पुत्र यशपाल द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर जबरदस्ती तेजाब पिला देना व जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-69/124(1)/351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 14.07.2026 थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमित चौधरी पुत्र यशपाल निवासी ग्राम रावंली थाना मुरादनगर गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरी वादिया के साथ फेसबुक के माध्यम से बातचीत व दोस्ती हो गयी थी जिसके बाद मैंने वादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे तथा बाद में वादिया को शादी करने से इंकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अमित चौधरी पुत्र यशपाल निवासी ग्राम रावंली थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही में नौकरी दिलाने का झांसा देकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 20 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में साइबर अपराध में प्रयुक्त उपकरण व दस्तावेज बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त, ट्रांसहिण्डन के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध)/ सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद/अपराध के कुशल नेतृत्व में स्वाट टीम, अपराध शाखा एवं थाना साहिबाबाद पुलिस के द्वारा दिनांक 14.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर दुर्गा इण्डस्ट्रीयल एरिया राजेन्द्रनगर चौकी क्षेत्र राजेन्द्र नगर में संचालित अवैध कॉल सेन्टर पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी। उक्त कॉल सेन्टर से लोगों को कॉल कर नौकरी का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन/ प्रॉसेसिंग फीस के नाम पर साइबर फ्रॉड कर पैसे ऐठने वाले गिरोह के 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध उचित धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना साहिबाबाद से की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त **अभिषेक जैन** ने पूछताछ में बताया कि उसने Jainson International के नाम से एक फर्म रजिस्टर्ड कर रखी है, जिसमें हम लोग मखाने बेचने का कारोबार करते है। इस फर्म की आड़ में अपनी पत्नी हिना, मामा सुनील जैन, पीयूष जैन, आंचल जैन पत्नी पीयूष जैन व सलीम के साथ मिलकर हम लोग कुछ महिला और पुरूषों को नौकरी पर रखकर एक फर्जी

काल सेन्टर चला रहे थे। इस कॉल सेन्टर से हम लोग नौजवान बेरोजगार लड़के व लड़कियों को काल कर नौकरी का झांसा देकर फॉर्म भरवाकर रजिस्ट्रेशन फीस, प्रॉसेसिंग फीस, इन्टरव्यू, कमीशन आदि के नाम पर पैसे लिया करते थे। हम लोग नौजवान लड़के व लड़कियों का डाटा इन्टरनेट के माध्यम से विभिन्न वेबसाइट जैसे कि Foundit.com, Naukari.com आदि से खरीदते है। इस डाटा को हम लोग अलग अलग पैन ड्राइव में डालकर यहाँ पर काम कर रही लडकियों को दे देते है। उस डाटा के माध्यम से लडकियां सम्बन्धित को कॉल कर नौकरी लगवाने का झूठा आश्वासन देती है और रजिस्ट्रेशन फीस, प्रॉसेसिंग फीस, इन्टरव्यू, कमीशन आदि के नाम पर पैसे लिया करते थे। यहाँ पर काम कर रही लड़कियों को हम लोग फर्जी आईडी पर की-पैड मोबाइल फोन व सिम उपलब्ध कराते है। यह फर्जी मोबाइल फोन व सिम सलीम पुत्र मौहम्मद शफी निवासी डी 86 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल निवासी अलीगंज जनपद एटा उपलब्ध कराता है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता –</u>

1. अभिषेक जैन पुत्र राजीव जैन निवासी 3/83 सैक्टर 02 राजेन्द्रनगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
2. पीयूष जैन पुत्र संजीव जैन निवासी ए 20 फ्लेट नं0 105 शालीमार गार्डन एक्टेन्शन 1 शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।
3. चिन्टू कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी चन्द्रप्रकाश का मकान इन्द्रापुरी लक्ष्मी गार्डन शीशम चौक के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।
4. हिना पंवार पत्नी अभिषेक जैन निवासी 3/83 सैक्टर 02 राजेन्द्रनगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष।
5. आंकाक्षा पुत्री प्रदीप जैन निवासी 210/03 डूँगर मौहल्ला पाण्डव रोड शाहदरा 32 दिल्ली उम्र करीब 31 वर्ष।
6. ज्योति पत्नी निमित जयसवाल निवासी 1/1266 गली नं0 10 रामनगर शाहदरा दिल्ली 32 उम्र करीब 30 वर्ष।
7. वर्षा पत्नी नीरज कुमार दुबे निवासी 231 ब्लाक सी उत्तम स्कूल के पीछे शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष
8. सीमा पुत्री बन्धू निवासी बी 429 लाजपतनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
9. मुस्कान पुत्र असलम निवासी डी 46 गरिमा गार्डन, जन्नती मस्जिद के पास थाना टीला मोड़ उम्र करीब 24 वर्ष।
10. आंचल जैन पत्नी पीयूष जैन निवासी ए 20 फ्लैट नं0 105 शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 29 वर्ष।
11. कविता पत्नी श्रीराम शुक्ला निवासी ई- 29 ट्रोनिका सिटी, मीना एन्क्लेव लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
12. विनीता मेहरा पुत्री राजेन्द्र सिंह मेहरा निवासी गड़ियाल धार थाना टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड उम्र करीब 22 वर्ष।
13. शालिनी पुत्री जीत सिंह निवासी म0नं0 09 गली नं0 05 ओमनगर, मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
14. निशा पुत्री काशीनाथ सिंह निवासी सी 333 प्रथम तल शालीमार गार्डन एक्टेशन 02 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
15. गीतांजली पुत्री मुकेश निवासी ई 52/179 आराधक नगर वार्डर थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।
16. पूजा पुत्री सतपाल सिंह निवासी फरखनगर असालकपुर भीम चौक थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
17. कंचन पत्नी सुशील कुमार निवासी सी 765 नन्दग्राम शिवमन्दिर के पीछे थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
18. रोहिनी पत्नी अरविन्द कुमार निवासी 09/3011 ब्लोक नं0 95 आवास विकास सोसायटी, सिद्धार्थविहार थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।
19. प्रिया सिंह पुत्री अर्जुन सिह निवासी डी 67 जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
20. तन्नू सिहं पत्नी विजय सिंह निवासी बी 32 ओल्ड सीमापुरी फुलवाली गली निकट इदगाह थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- 12 लैपटाप
- 23 स्मार्ट फोन, 14 की-पैड मोबाइल फोन, 47 सिम

- 16 डेबिट कार्ड व 02 क्रेडिट कार्ड
- 10 मुहर, 08 चैक बुक, 05 पासबुक, 01 आधार कार्ड, 01 वोटर आई0डी कार्ड फर्जी
- 02 प्रिन्टर, 12 पॉवर एडॉप्टर, 01 डोंगल, 07 पेन ड्राइव, 01 क्यू आर कोड स्कैनर
- 01 ऑडी कार

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

- एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर उक्त कॉल सेन्टर के विरूद्ध अबतक 24 शिकायते दर्ज होना पाया गया है। अन्य शिकायते व पंजीकृत अभियोगों के विषय में सम्बन्धित से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।
- थाना साहिबाबाद, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलेरेन्स नीति एवं फीडबैक सेल पर प्राप्त प्रतिक्रिया व अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर 05 पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नागरिक सेवा में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स नीति को साकार करने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जिसके दृष्टिगत कमिश्नरेट में फीडबैक सेल एवं कमाण्ड कण्ट्रोल रूम की स्थापना की गई। जिसके अन्तर्गत नागरिकों से पुलिस सेवाओं एवं पुलिसकर्मियों के व्यवहार के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। फीडबैक सेल पर प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं को गम्भीरता से लिया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 15.07.2026 को फीडबैक सेल पर प्राप्त नकारात्मक प्रतिक्रिया के दृष्टिगत मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार थाना कोशाम्बी, मुख्य आरक्षी मकसूद खान थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विरुद्ध नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त नगर/ट्रांसहिंडन द्वारा उक्त पुलिसकर्मी के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गई है।

इसी क्रम में अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर उ0नि0 प्रभाकर सिंह थाना नन्दग्राम, उ0नि0 सुखवीर सिंह थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस उपायुक्त नगर/ट्रांसहिंडन द्वारा उक्त पुलिसकर्मी के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही व मुख्य आरक्षी मौ0 आलम नियुक्ति कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद को रिजर्व पुलिस लाइन, गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया।

पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में स्थापित फीडबैक सेल पुलिस के कार्यों का मूल्यांकन करने में कारगर साबित हो रही है। यह सेल पुलिस एवं नागरिकों के बीच सेतू का कार्य कर रही है ,जिसमें नागरिक बिना किसी भय व औपचारिकता के अपने सुझाव साझा कर रहे हैं।

गाजियाबाद पुलिस नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने हेतु प्रतिबद्ध है। किसी भी भ्रष्ट गतिविधि के प्रति जीरो टॉलरेन्स नीति निरन्तर जारी है । पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जवाबदेह पुलिसिंग ही हमारा लक्ष्य है ।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 90 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद ।

आज दिनांक 15.07.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त 1. मौ0 अहमद पुत्र लुतुफुर रहमान निवासी ईदगाह के पास रसूलपुर सिकरोड़ा थाना मसूरी गाजियाबाद 2. फरमान पुत्र इमरान निवासी बिजली घर के पास, निठौरा रोड अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद को थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 90 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुयी जिसके संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम यह अवैध देशी शराब हरियाणा से चोरी-छिपे खरीद कर लाते है और अधिक मुनाफा कमाने के लिये आसपास के क्षेत्रों में आते-जाते लोगों को बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. मौ0 अहमद पुत्र लुतुफुर रहमान निवासी ईदगाह के पास रसूलपुर सिकरोड़ा थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. फरमान पुत्र इमरान निवासी बिजली घर के पास निठौरा रोड अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 90 पव्वे अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में अभियुक्त मौ0 अहमद के विरुद्ध थाना मसूरी पर वाहन बरामदगी व शस्त्र अधिनियम के 02 अभियोग पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा एटीएम बदलकर धोखाधड़ी कर रुपये निकालने वाले अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 एटीएम कार्ड, 9,500 रुपये एवं 01 आईफोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 13.07.2026 को थाना खोड़ा पर वादी द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि दिनांक 15.04.2026 को कालू सीमेंट के पास स्थित एटीएम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से 26,150 रुपये निकाल लिए गए। **प्राप्त तहरीर के आधार पर** थाना खोड़ा पर धारा 303(2)/318(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इनपुट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई, जिसमें अभियुक्त **आकाश कुमार उर्फ अक्की पंडित**

पुत्र पंचानन सिंह, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी नियर हरी सिंह स्कूल, चोटपुर कॉलोनी, सेक्टर-63, छिजारसी, नोएडा का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 14.07.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त को इन्दिरापुरम अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **50 एटीएम कार्ड, 9,500 रुपये एवं 01 आईफोन** बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह विभिन्न एटीएम के बाहर खड़े होकर ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो एटीएम संचालन में कम जानकारी रखते थे। वह पहले उनके एटीएम कार्ड की जानकारी देख लेता था, फिर उसी बैंक का मिलता-जुलता कार्ड अपने पास रखकर सहायता करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल देता था। बातचीत के दौरान वह पीड़ित से एटीएम का पिन प्राप्त कर लेता था तथा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता था। इसके बाद वह बदला हुआ कार्ड पीड़ित को वापस देकर असली कार्ड अपने पास रख लेता था और बाद में दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न एटीएम से रुपये निकाल लेता था। कार्य पूर्ण होने के बाद वह मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आकाश कुमार उर्फ अक्की पंडित पुत्र पंचानन सिंह, निवासी नियर हरी सिंह स्कूल, चोटपुर कॉलोनी, सेक्टर-63, छिजारसी, नोएडा, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 50 एटीएम कार्ड।
- 9,500 रुपये।
- 01 आईफोन।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध इस संबंध में थाना खोड़ा पर 01 अभियोग पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में धोखाधड़ी आदि के 03 अभियोग पंजीकृत होना प्रकाश में आया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चोरी की स्कूटी के साथ 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 15.07.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.आशिक अली उर्फ भोलू पुत्र जलालुद्दीन निवासी कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद 2. जीशान पुत्र नसीमुद्दीन निवासी हापुड मण्डी के पास थाना लोहिया नगर जिला मेरठ 3. शाकिब पुत्र महबूब निवासी कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद हुई। उक्त चोरी की स्कूटी के सम्बन्ध में

थाना सीमापुरी दिल्ली से चोरी करना बताया। उपरोक्त स्कूटी के संबंध में थाना सीमापुरी दिल्ली पर 01 चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मसूरी पर सुसंगत धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि यह स्कूटी हम तीनो ने मिलकर दिल्ली के सीमापुरी से चोरी की थी जिसे हम बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. .आशिक अली उर्फ भोलू पुत्र जलालुद्दीन निवासी कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।
2. जीशान पुत्र नसीमुद्दीन निवासी हापुड मण्डी के पास थाना लोहिया नगर जिला मेरठ, उम्र करीब 19 वर्ष।
3. शाकिब पुत्र महबूब निवासी कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त चोरी की स्कूटी की बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त स्कूटी के संबंध में थाना सीमापुरी दिल्ली पर 01 चोरी का अभियोग पंजीकृत है।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।